भाग ख
पूंजी प्राप्तियां

पूंजी प्राप्तियों के अनुमान

निम्न विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2007-08 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2007-08 और बजट अनुमान 2008-09 के बीच अंतर इस विवरण के बाद की टिप्पणियों में दिया गया है। विवरण में शामिल उधार और अन्य ऋण वापसी-अदायगियों को घटाकर दिये गये हैं।

(करोड़ रुपए)

	बजट 2007-2008	संशोधित 2007-08	बजट 2008-09
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां			
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	1500.00	4497.44	4497.51
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	41651.00	36125.36	10165.00
ख. ऋण प्राप्तियां			
3. बाजार ऋण	109579.24	110670.87	100571.00
4. अल्पावधि उधार	1748.00	25553.00	12429.00
5. विदेशी सहायता (निवल)	9110.55	9970.01	10989.27
6. लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां	10510.00	-1802.48	9872.52
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	5000.00	4800.00	4800.00
8. अन्य प्राप्तियां (निवल)	15000.00	12644.98	(-) 12600.22
ग. जोड़-पूंजीगत प्राप्तियां	**194098.79**	**202459.18**	**140724.08**
9. नकद शेष का आहरण द्वारा कमी	...	(-) 18183.95	7224.34
घ. राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के सम्बन्ध में ऋण प्राप्तियां	**150947.79**	**143652.43**	**133285.91**
ङ. एमएसएस के अन्तर्गत प्राप्तियां (निवल)	**10000.00**	**154831.02**	**29806.00**

1. **ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां**

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) और विदेशी सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक निकायों सहित अन्य पक्षों को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियों का अनुमान इस प्रकार हैः-

(करोड़ रुपए)

	बजट 2007-08	संशोधित 2007-08	बजट 2008-09
वसूलियांः			
(i) राज्य सरकारों से	500.00	2400.00	2563.20
(ii) संघ राज्य क्षेत्रों से (विधानमंडल सहित)	93.00	102.94	102.94
(iii) अन्य	907.00	1994.50	1831.37
(क) विदेशी सरकारों से	*84.69*	*96.50*	*97.63*
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सांविधिक निकायों आदि से	*822.31*	*1898.00*	*1733.74*
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	**1500.00**	**4497.44**	**4497.51**
(क) राज्य सरकारों से वसूलियों में अल्पावधि अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं	1000.00	1000.00	1000.00
(ख) सरकारी कर्मचारियों आदि से की गयी वसूलियों, जिन्हें व्यय बजट में से घटाया जाता है, को छोड़कर अन्यों से की गयी वसूलियां	530.00	510.00	495.00

(i) **राज्य सरकारों से वसूलियांः** राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2007-08 में 2400 करोड़ रुपए तथा ब.अ. 2008-09 में 2563.20 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ii) **संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) से वसूलियांः** ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

(iii) **अन्यों द्वारा वापसी-अदायगीः** इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की वापसी अदायगियां शामिल हैं। इनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार हैः-

(करोड़ रुपए)

	बजट 2007-08	संशोधित 2007-08	बजट 2008-09
(क) विदेशी सरकारें	84.69	96.50	97.63
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, आदि	822.31	1898.00	1733.74
जोड़	**907.00**	**1994.50**	**1831.37**

2. **विविध पूंजी प्राप्तियां**

स.अ. 2007-08 में 1651 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियों का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), पावर ग्रिड कारपोरेशन लि. (पीजीसीआईएल) और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) में इक्विटि के एक लघु भाग के विनिवेश के कारण अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय निवेश निधि में इस राशि के अन्तरण का प्रावधान विनिवेश विभाग से संबंधित मांग संख्या 44 में किया गया है। सरकार ने एक "राष्ट्रीय निवेश निधि" (एमआईएफ) की स्थापना की है जिसमें चुनिंदा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आयों को सरणीकृत किया जाएगा। एनआईएफ को भारत की समेकित निधि के बाहर रखा जाएगा और चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के म्युचुअल फंडों द्वारा इसका व्यावसायिक रूप से प्रबंधन किया जाएगा ताकि इसकी मूलभूत निधि को निःशेष किए बिना सतत प्रतिफल प्राप्त हो सकें। लेनदेनों का लेखा-जोखा इस प्रकार रखा गया कि इन्हें घाटा तटस्थ बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. द्वारा जारी बोनस शेयरों के मद में 165.76 करोड़ रुपए की प्राप्तियों की परिकल्पना की गई है, 34308.60 करोड़ रुपए की प्राप्तियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में इसकी पण्यधारिता की भारत सरकार को अन्तरण के मद में प्राप्तियों के एकबारगी अन्तरण से हैं।

ब.अ. 2008-09 में 1165 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नेशंनल हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर कारपोरेशन में इक्विटी के एक लघु भाग का विनिवेश शामिल है। इस राशि के राष्ट्रीय निवेश निधि में अन्तरण का प्रावधान विनिवेश विभाग से संबधित मांग सं. 44 में किया गया है। 9000 करोड़ रुपए की प्राप्तियां सूटी से ली गई हैं।

3. बाजार ऋणः

भारत सरकार वर्ष 1992-93 में शुरु की गई दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। यह योजना विशिष्ट ब्याज दरों पर ऋण जारी करके बाजार ऋण जुटाने की पहले की चल रही प्रथा से अलग थी। योजना के तहत नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जिनपर अर्ध वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर वार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है, जो परिवर्तनीय आधार दर पर विगत तीन नीलामियों में 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों के 'कट आफ' मूल्यों पर अंतर्निहित प्राप्तियों के औसत के रूप में परिकलित की जाती है; जीरो कूपन बांड, जिनपर कोई कूपन नहीं होता लेकिन ये कटौती मूल्य पर बेचे जाते हैं; पूंजी सूचकांकित बांड, जो मूल राशि में स्फीति-सूचकांकन प्रदान करते हैं, भी जारी करती है। वर्ष 2002-03 से केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक सांकेतिक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है।

दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार के निवल बाजार उधारों का सं.अ. 110670.87 करोड़ रुपए है। 45329.13 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान को हिसाब में लेने पर सकल बाजार उधार का सं.अ. 156000 करोड़ रुपए निर्धारित हुआ है।

इन अनुमानों में राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किए गए पुनर्पूंजीकरण बांडों के चरणबद्ध परिवर्तन के एक भाग के रुप में अगस्त-सितम्बर 2007 में 12102.04 करोड़ रुपए की जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों की राशि को हिसाब में नहीं लिया गया है क्योंकि ये विशेष प्रतिभूतियों का एसएलआर प्रतिभूतियों में अनिवार्यतः परिवर्तन हैं, जिसे राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने में उपयोग नहीं किया गया है। (देखिए ब्यौरे अनुबंध 4ख में)

वर्ष 2008-09 में दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार को निवल बाजार उधारों का अनुमान 100571.04 करोड़ रुपए लगाया गया है। ब.अ. 2008-09 में सकल बाजार उधारों की राशि 145146.04 करोड़ रुपए रखी है जिसमें 44575.04 करोड़ रुपए का अनुसूचित भुगतान हिसाब में रखा गया है। वर्ष 2008-09 में वापसी अदायगी के ब्यौरे निम्नलिखित है।

बजट अनुमान 2008-09

2008-09 में प्रत्येक के सामने दर्शाए गए बकाया शेष सहित निम्नलिखित बाजार ऋण मोचन के लिए नियत हैंः

(करोड़ रुपए)

1. 12.00% सरकारी स्टॉक, 2008	12000.00
2. 11.50% ऋण, 2008	6976.68
3. 12.10% सरकारी स्टॉक, 2008	3384.74
4. 10.80% ऋण, 2008	361.81
5. 12.22% सरकारी स्टॉक, 2008	1295.00
6. 11.40% सरकारी स्टॉक, 2008	10000.00
7. 12.25% सरकारी स्टॉक, 2008	5510.00
8. 6.72% सरकारी स्टॉक, 2007/2012*	546.81
जोड़	**40075.04**
जोड़ेंः	
#9. 4.88% सरकारी स्टॉक, 2008	4500.00
कुल जोड़	***44575.04***

* *2008-09 के लिए मोचन में 546.81 करोड़ रुपए भी शामिल हैं जो 6.72% सरकारी प्रतिभूतियां 2007/2012 के संबंध में हैं (मांग और रखे विकल्प सहित जो वर्ष 2007 से व्यवहार्य हो गया है)। निवेशक द्वारा प्रयुक्त विक्रय विकल्प के संबंध में वर्ष 2007-08 में 2453.19 करोड़ रुपए की अदायगी पहले ही की जा चुकी है।*

\# *विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां।*

बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत कोई दिनांकित प्रतिभूति 2008-09 में मोचन हेतु नहीं है।

विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण

भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पूरा कर लिया है। प्रतिभूतियों को रुपांतरण कर जारी किए गए विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 4क में दिए गए हैं।

4. अल्पावधि उधार (364/182/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां):

ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधि निवेश अवसर प्रदान करती हैं। इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और अप्रतिस्पर्द्धा बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की अधिसूचित नीलामी राशि वर्ष 2002-2003 से प्रत्येक पंद्रह दिन में 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी के लिए अधिसूचित राशि वर्ष 2003-04 से 500 करोड़ रुपए कर दी गई है और 2005-06 में प्रारम्भ 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों प्रत्येक पन्द्रह दिन में नीलामी हेतु अधिसूचित राशि 500 करोड़ रुपए रही है।

केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा लघु अवधि के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14-दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है। 2007-08 के दौरान 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों में निवेश राज्य सरकारों के विशाल नकदी शेष के कारण सामान्यतया अधिक रहा है। तथापि, इस खाते में कोई प्राप्तियों का अनुमान नहीं है।

5. विदेशी ऋण

बजट 2008-2009 में 19209.93 करोड़ रुपए की सकल प्राप्तियों और 8220.66 करोड़ रुपए की पुनर्अदायगी का अनुमान लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, 10989.27 करोड़ रुपए की निवल विदेशी ऋण की प्राप्ति होगी।

विदेशी ऋण से निवल प्राप्तियां सं.अ. 2007-08 में 9970.01 करोड़ रुपए आंकी गयी है।

2007-2008 तथा 2008-2009 में विदेशी ऋण की प्राप्तियों और मूलधन की वापसी-अदायगियों के अनुमानों का सारांश नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपए)

	बजट 2007-08	संशोधित 2007-08	बजट 2008-09
क. सकल प्राप्तियां	**17451.52**	**17402.60**	**19209.93**
ख. वापसी-अदायगियां	(-) **8340.97**	(-) **7432.59**	(-) **8220.66**
ग. निवल प्राप्तियांः	**9110.55**	**9970.01**	**10989.27**

और ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

6. (I) राष्ट्रीय लघु बचत निधि

लघु बचत योजनाएं:

इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैंः डाकघर बचत खाता, डाकघर आवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), किसान विकास पत्र तथा लोक भविष्य निधि।

लघु बचत योजनाओं को और अधिक आकर्षक और निवेशक अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने इस योजनाओं में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :-

(i) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत कैलेन्डर माह के दौरान एक से अधिक खाता न खोलने का प्रतिबंध 24 मई, 2007 से हटा दिया गया है।

(ii) डाक घर बचत खाता नियमावली के तहत सभी श्रेणी के पेंशनभोगियों को पेंशन खाता खोलने और रखरखाव करने की अनुमति 11 जुलाई, 2007 से दी गई है।

(iii) 10 फरवरी, 2006 से डाक घर मासिक आय खाता (पीओएमआईए) योजना के तहत जमाओं के परिपक्वता पूर्व आहरण पर शास्ति का यौक्तिकीकरण किया गया है और एक वर्ष की समाप्ति पर परन्तु तीन वर्ष या इससे पहले 3.5% से 2% और तीन वर्ष की समाप्ति पर आहरण पर 1% किया गया है।

(iv) 1 अगस्त, 2007 से डाक घर मासिक आय खाता (पीओएमआईए) योजना के तहत 3.00 लाख रुपए और 6.00 लाख रुपए की जमा की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर एकल और संयुक्त खातों के संबंध में क्रमशः 4.5 लाख रुपए और 9.00 लाख रुपए कर दिया गया है।

(v) 8 दिसम्बर, 2007 को या इसके बाद पीओएमआईए योजना के तहत की गई जमा के संबंध में जमाओं पर 5% की दर से परिपक्वता बोनस उपलब्ध कराया गया है।

(vi) डाक घर सावधि जमा (5 वर्ष) के तहत 1 अप्रैल, 2007 से की गई जमा और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ग के अधीन छूट के लिए अर्हक होंगे।

राष्ट्रीय लघु बचत निधिः

लघु बचत योजनाओं के अधीन सभी जमाराशियां भारतीय लोक लेखा में दिनांक 1.4.1999 को स्थापित "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) में जमा की जाती हैं। जमाकर्ताओं द्वारा सभी आहरण इस निधि में जमाराशियों से किए जाते हैं। इस निधि में शेष राशि का विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णीत मानदंडों के अनुसार निवेश किया जाता है। 31 मार्च, 1999 को समाप्त विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत शेष बकाया राशियों की देयता केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें विशेष केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ के निवेश के रूप में मान कर वहन किया गया। निवल लघुबचत संग्रहणों का एक हिस्सा वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान केन्द्र सरकार की विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेशित किया गया। वर्तमान में, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण निवल संग्रहणों (अभिदाताओं द्वारा जमा राशियों में से आहरणों को घटाकर) को सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को इसकी विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के रुप में अग्रिम तौर पर दिया जाता है। विशेष प्रतिभूतियों के मोचनपर-एनएसएसएफ में प्राप्त राशि को पुनः केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित किया जाता है और 2007-08 से 28 फरवरी, 2007 को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा संसद में की गई घोषणा के क्रियान्वयन में अन्य लिखतों में मोचन मूल्यों को निवेश करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि (अभिरक्षा तथा निवेश) नियम, 2001 में उपयुक्त संशोधन करके समर्थकारी प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। तदनुसार प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत (वार्षिक रूप से देय) की दर पर ऋण के रूप में 1500 करोड़ रुपए का ऋण निवेश के रूप में अवसंरचना विकास परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को देने का प्रस्ताव है और पुनअदायगी 15 वर्ष की अवधि के बाद आईआईएफसीएल द्वारा एकमुश्त देय होगी।

सरकारी प्रतिभूतियों का ऋणशोधन, निधि की आय है जबकि अभिदाताओं को भुगतान की गयी ब्याज की लागत और लघु बचत योजनाओं के प्रबंधन की लागत, निधि का व्यय है।

एनएसएसएफ को जारी विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा होती हैं।

1 अप्रैल, 2003 से इन विशेष प्रतिभूतियों पर उनके निवल संग्रहणों के हिस्से पर 9.50 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज देय है।

एनएसएसएफ के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद उप समिति की सिफारिशों का प्रभाव

राष्ट्रीय लघु बचत निधि की एवज में राज्यों के बकाया ऋण के सम्बन्ध में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 16 सितम्बर, 2005 को राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की उप-समिति का गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/उनके प्रतिनिधि, आन्ध्र प्रदेश, छतीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री और सचिव (व्यय) तथा सचिव (आर्थिक कार्य), वित्त मंत्रालय, सदस्य बतौर शामिल थे। उपसमिति की सिफारिशों की अनुपालना में सरकार ने :

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) की सरकारों को यह अनुमत किया है कि वे चालू वर्ष से बाद के वर्षों में निवल-लघु बचत संग्रहणों के अपने हिस्से का प्रतिशत 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच रखें।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) की सरकारों द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को क्रमशः वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान निवल लघु बचत संग्रहणों के उनके हिस्से के एवज में जारी विशेष प्रतिभूतियों पर देय ब्याज की दरों को 13.5 प्रतिशत व 12.5 प्रतिशत और 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष से घटाकर 1 अप्रैल 2007 से 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर पुनःनिर्धारित किया है।

(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) की सरकारों को एनएसएसएफ के प्रति उनकी देयताओं के एक भाग की पूर्व अदायगी करने के लिए अनुमत किया है। तमिलनाडु, उड़ीसा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकारों द्वारा एनएसएसएफ के प्रति उनकी देयताओं के एक भाग की पूर्वअदायगी के संबंध में किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है।

वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान एनएसएसएफ को जारी राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों का पुनःनिर्धारण करने के फलस्वरुप एनएसएसएफ की ब्याज आय में वर्ष 2007-08 के दौरान लगभग 765 करोड़ रुपए और 2008-09 के दौरान 1450 करोड़ रुपए की हानि होगी।

स्रोत और उपयोगः

(i) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग नीचे दी गई **सारणी-I** में दर्शाए गए हैं:-

(ii) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के विभिन्न संघटकों (अर्थात् एनएसएसएफ की प्राप्तियों, संवितरण, निवेश, आय और व्यय) के बारे में ब्यौरा जिसमें वर्ष 2006-07 (अनन्तिम) के वास्तविक आंकड़े, ब.अ. तथा सं.अ. 2007-08 तथा ब.अ. 2008-09 शामिल है, उन्हें **अनुबंध-8** में सारणीबद्ध किया गया है।

सारणी-I

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2006-2007	2007-2008 (सं. अ.)	2008-2009 (ब. अ.)
क. निधियों के स्रोत			
लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमाराशियां			
बचत जमाराशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	317665.39	347611.58	353511.58
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	29946.19	5900.00	14300.00
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	203689.11	212702.96	215202.96
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	9013.85	2500.00	3500.00

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2006-2007	2007-2008 (सं. अ.)	2008-2009 (ब. अ.)
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	95762.00	114296.60	123896.60
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	18534.60	9600.00	12200.00
कुल जमा राशि	**674611.14**	**692611.14**	**722611.14**
ख. निधियों का उपयोग			
(i) **दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश**			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	83569.19	83569.19	73569.19
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	-10000.00	...
(ii) **दिनांक 1.4.1999 से संग्रहणों के प्रति केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश**			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	25600.75	24735.99	24933.51
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	0.00	1500.00	2500.00
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-864.76	-1302.48	-1302.48
(iii) **दिनांक 1.4.1999 से संग्रहणों के प्रति राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश**			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	391302.21	452063.88	461192.89
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	63746.05	16000.00	26000.00
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	-2984.38	-6870.99	-7374.07
(iv) **प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश**			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	94447.60	98296.34	106296.34
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	3848.74	8000.00	8675.00
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	...	...	...
(v) **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेस के कंपनी लि. को 15 वर्ष के लिए 9 प्रतिशत ऋण (2023)**			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	...	...	1500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	1500.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
कुल निवेश	**658665.40**	**667491.93**	**695990.38**
संचित अधिशेष आय(-)/व्यय (+) लेखा	**26138.00**	**24137.02**	**25585.30**
नकद शेष	**-10192.26**	**982.19**	**1035.46**
जोड़	**674611.14**	**692611.14**	**722611.14**

(II) सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दो गैर-सांविधिक जमा योजनाएं हैं, अर्थात-सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता था। दिनांक 10 जुलाई, 2004 से इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत नई जमा राशियां लेना बंद कर दिया गया है। यह भी अधिसूचित किया गया है कि 13 सितंबर 2004 को अथवा इसके पश्चात तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर इन स्कीमों के अंतर्गत विद्यमान खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इन योजनाओं के अधीन संग्रहणों के बजट अनुमान नीचे सारणी II में दिखाए गए हैं :

सारणी II

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2006-2007	2007-2008 (सं. अ.)	2008-2009 (ब. अ.)
सकल #	32	10	10
निवल @	(-) 532	(-) 290	(-) 190

 # यह राशि अभिदाताओं द्वारा आहरित नहीं किए गए तथा उनके खातों में क्रेडिट किए गए ब्याज की राशियों को दर्शाती है।

@ ऋणात्मक निवल संग्रहण का अर्थ योजनाओं को बंद किए जाने के कारण बिना कोई नई जमाराशियों के निवेशकों द्वारा जमा राशियों का आहरण।

7. **अन्य प्राप्तियांः**

(i) ***8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003*** की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से शुरु की गई थी ताकि निवासी नागरिक/पुण्यार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। अर्धवार्षिक भुगतान योग्य 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज वाले इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। ये द्वितीयक बाजार में लेन-देन योग्य भी नहीं हैं तथा बैंकिंग संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र नहीं है।

(ii) ***6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003*** की शुरुआत निवासी नागरिकों को किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इस स्कीम को 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया गया है। इन बचत बॉन्डों का मोचन किया जाने वाला है और वापसी अदायगी के लिए इनकी परिपक्वता के पश्चात 24 मार्च 2008 से की जाएगी।

सरकार ने यह भी अधिसूचित कर दिया है कि राहत बांडो की सभी श्रृंखलाओं पर पश्च-परिपक्वता ब्याज 1 मार्च, 2003 से बंद कर दिया जाएगा।

(iii) रेलवे प्रारक्षित निधियांः

(करोड़ रुपए)

	बजट 2007-08	संशोधित 2007-08	बजट 2008-09
रेलवे पेंशन निधि			
जमा	8883.02	8494.13	9855.07
नामे	8160.00	8130.00	9600.00
निवल	(+) 723.02	(+) 364.13	(+) 255.07
रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि			
जमा	5675.65	5786.53	7291.39
नामे	6070.00	6250.00	8500.00
निवल	(-) 394.35	(-) 463.47	(-) 1208.61
रेलवे विकास निधि			
जमा	2646.75	2617.93	1148.81
नामे	2257.00	2357.00	2840.00
निवल	(+) 389.75	(+) 260.93	(-) 1691.19
रेलवे पूंजीगत निधि			
जमा	8750.18	11684.78	11591.83
नामे	8219.10	6908.60	9200.00
निवल	(+) 531.18	(+) 4776.18	(+) 2391.83
रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	727.26	727.26	776.47
नामे	1050.69	1050.60	1300.00
निवल	(-) 323.43	(-) 323.34	(-) 523.53
विशेष रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	1217.52	1165.00	...
नामे	1882.00	1826.00	...
निवल	(-) 664.48	(-)661.00	...
जोड़	**(+) 261.69**	(+) 3953.43	(-) 776.43

(क) *रेलवे पेंशन निधिः* रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों में नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरु में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2007-2008 में निधि में 8493.13 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें निधि की बकाया रकमों पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 134.13 करोड़ रुपए शामिल था। निधि से 8130.00 करोड़ रुपए निकाले जाने का अनुमान है। वर्ष 2008-2009 के दौरान इस निधि में 155.07 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 9855.07 करोड़ रुपए की रकम जमा होने के अनुमान हैं। इसकी तुलना में 9600.00 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) *रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधिः* इस निधि में सुधारात्मक कार्यो सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में 2007-2008 में सामान्य राजस्व से 236.53 करोड़ रुपए के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान सहित अंशदान 5786.53 करोड़ रुपए का होगा। 2007-2008 में 6250.00 करोड़ रुपए के बहिर्गमन का अनुमान है। 2008-2009 के संबंध में क्रेडिट 7291.39 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें ब्याज से संबंधित 191.39 करोड़ रुपए शामिल है। निकासी 8500.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) *रेलवे विकास निधिः* रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च, अलाभकारी सुधार एवं सुरक्षा कार्यो का खर्च पूरा करना है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी

स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकठ्ठी होने वाली रकम उन कार्यो के खर्चो को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। वर्ष 2007-2008 के दौरान रेलवे विकास निधि को 2617.93 करोड़ रुपए के क्रेडिट का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 2359.00 करोड़ रुपए अधिक हुई अनुमानित राशि में से और 258.93 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में होंगे। वर्ष 2007-2008 के दौरान निधि में से निकाली गई राशियां अनुमानतः 2357.00 करोड़ रुपए हैं। 2008-2009 के दौरान निधि में क्रेडिट 1148.81 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, 947.00 करोड़ रुपए अधिक होने वाली अनुमानित राशि में से और 201.81 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर देय ब्याज के रूप में होंगे। वर्ष 2008-2009 के दौरान 2840.00 करोड़ रुपए की निकासियों का अनुमान लगाया गया है, जो निधि को प्रभार्य कार्यों के लिए होंगी।

(घ) *रेलवे पूंजी निधिः* को 1992-93 में इसलिए सृजन किया गया था कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। वर्ष 2007-2008 के दौरान निधि में जमा राशि 509.70 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 11684.78 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि निधि से 6908.60 करोड़ रुपए के बहिर्गमन का अनुमान है। 2008-09 में निधि में निधि शेष पर देय 752.09 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 11591.83 करोड़ रुपए की राशि जमा होगी, जबकि इस वर्ष में आहरण की राशि के 9200.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) *रेलवे सुरक्षा निधिः* इसका सृजन व्यक्ति की तैनाती रहित लेवल क्रासिंग के परिवर्तन और अत्यधिक यातायात वाले लेवल क्रासिगों में रेलवे पुलों के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यो के वित्तपोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण मुख्यतया केन्द्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यो के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाएगा। यह बिना ब्याज वाली निधि है। इस निधि में 2007-2008 के दौरान जमा राशि 727.26 करोड़ रुपए रखी गई है। जबकि निधि से 1050.60 करोड़ रुपए के आहरण किये जाने का अनुमान है। 2008-2009 के दौरान 776.47 करोड़ रुपए का क्रेडिट तथा 1300.00 करोड़ रुपए के आहरण का अनुमान है।

(च) *विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (एसआरएसएफ)* : रेलवे सुरक्षा पुनरीक्षण समिति (1998) की सिफारिश के अनुसरण में वर्ष 2001-02 में विशेष रेलवे सुरक्षा निधि की स्थापना की गई थी, जिससे 6 वर्षों की निश्चित अवधि में प्रतिस्थापन संबंधी बकायों को निपटाया जा सके तथा बहुत पुरानी रेलवे परिसम्पत्तियों का नवीकरण किया जा सके। विशेष रेलवे सुरक्षा निधि ब्याज रहित निधि है। इस प्रयोजन के लिए, सरकार द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसार 12,000 करोड़ रुपए की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी तथा शेष 5000 करोड़ रुपए की राशि यात्री किराए पर सुरक्षा उप-प्रभार लगा कर रेलवे द्वारा जुटाई जाएगी। सुरक्षा उप-प्रभार के संग्रहण में कमी की क्षतिपूर्ति रेलवे द्वारा स्वयं के राजस्व से की जा रही है।

1165.00 करोड़ रुपए की राशि जो सामान्य राजस्व से प्राप्त रेलवे के भाग के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए चालू वर्ष में निधि में जमा करायी जा रही है। यह एसआरएसएफ के क्रेडिट में रखे शेष के साथ इस निधि से खर्च का ध्यान रखेगी जिसका 2007-08 में 1826.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस तरह यह निधि 2007-08 में समाप्त हो जाएगी,शेष यदि कोई हो, 1.4.2008 की स्थिति में एसआरएसएफ से पूरे किए जाने वाले बचे हुए निर्माण कार्यों सहित मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दी जाएगी।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, संबंधी अनुमान निम्न सारणी में दिए गए हैंः

(करोड़ रुपए)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	बजट 2007-08			संशोधित 2007-08			बजट 2008-09		
	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	39.57	0.01	39.56	...	1440.88	(-) 1440.88	...	...	...
2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	...	113.15	(-) 113.15	...	113.15	(-)113.15	...	113.15	(-)113.15
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
4. एशियाई विकास बैंक	...	11.60	(-) 11.60	...	9.16	(-) 9.16	...	15.00	(-) 15.00
5. अफ्रीकी विकास निधि और बैंक	14.18	15.03	(-) 0.85	13.65	18.87	(-) 5.22	19.76	6.62	13.14
6. बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा)	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**53.76**	**139.79**	**(-) 86.03**	**13.65**	**1582.06**	**(-)1568.41**	**19.76**	**134.77**	**(-)115.01**
एस.डी.आर.	***220.46***	***133.65***	***86.81***	***177.71***	***1668.08***	***-1490.37***	***163.47***	***179.64***	***-16.17***

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषः कोष के करार-अनुच्छेद के 'मूल्य अनुरक्षण' उपबंध के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डीआर.) के रूप में बनाए रखना जरुरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है जब किसी प्रचालन में उस मुद्रा का प्रयोग हो या कोष तथा दूसरे सदस्य के बीच लेन-देन हो अथवा जब कोष ऐसा करने का निर्णय करे या सदस्य ऐसा करने का अनुरोध करे। वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमान में शून्य प्रावधान रखा गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान पुनःखरीद लेनदेनों के कारण 39.57 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। आईएमएफ खाता संख्या 1 में रुपया शेषों के आहरण द्वारा कमी से आवश्यक हुए मुद्रा विनिमय अंतरों और भारतीय रिजर्व बैंक के पास आईएमएफ खाता संख्या 1 की पुनःपूर्ति के लिए रुपया प्रतिभूतियों को भुनाना पड़ेगा। 2007-08 के संशोधित अनुमान में शून्य राशि उपलब्ध कर्रा गई है। 1991-93 के दौरान आईएमएफ सुविधा का पुनःखरीद कार्यक्रम पूरा हो चुका है। 2008-09 के बजट अनुमान में पुनःखरीद लेनदेन के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर): भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एस.डी.आर आवंटन का भागीदार है। 1981 से भारत को आवंटित निवल संचित एसडीआर 681.2 मिलियन बने रहे क्योंकि एस.डी.आर. का कोई नया आवंटन नहीं किया गया। एस.डी.आर. का उपयोग अतिरिक्त अभिदान की अदायगी सहित प्रभारों की अदायगी और पुनः क्रय संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक धारक को उसके द्वारा धारित एस.डी.आर. पर ब्याज की अदायगी करता है और प्रत्येक भागीदार के निवल संचित आवंटन पर उसी दर से प्रभार लगाता है। यह सभी भागीदारों के निवल संचित आवंटनों पर उनके एस.डी.आर. खाते के प्रशासन के संबंध में निर्धारण प्रभार भी लगाता है। प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर के आरम्भ में निवल ब्याज अथवा निवल प्रभारों को व्यक्तिगत धारक खाते में जमा करके अथवा नामे डाल कर निपटाया जाता है।

भारत ने उसके द्वारा ली गई विभिन्न सुविधाओं के एवज में पुनःखरीद पहले ही पूरी कर ली है। अतएव, वर्ष 2007-2008 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया था। वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमान में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

खरीदारी तथा पुनः खरीदारी संबंधी लेन-देनों को लोक खाते में "विशेष आहरण अधिकार" नामक शीर्षक में नामे/जमा के रूप में दिखाया जाता है। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अदायगियां की जाती हैं, उनको इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी नामे डालकर सम्बद्ध व्यय शीर्षों में नामे डाल दिया जाता है। इसी प्रकार, विशेष आहरण अधिकारों के रूप में जो धनराशियां वसूल की जाती हैं उनको भी इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी आधार पर नामे डालकर सम्बद्ध प्राप्ति शीर्षो में जमा के रूप में दिखा दिया जाता है। विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्ष में संशोधित अनुमान 2007-2008 में कुल जमा की गई राशि 177.71 करोड़ रुपए थी, जिसमें से एस.डी.आर. लेखे को 177.71 रुपए प्रतिपक्षी डेबिट किए जाएंगे। विशेष आहरण अधिकारों के नामे कुल राशि 2007-2008 के संशोधित अनुमान में 1668.08 करोड़ रुपए बैठती थी जिसमें से 1668.08 करोड़ रुपए की राशि एस.डी.आर. लेखे के प्रतिपक्षी रूप में जमा की जाएगी। वर्ष 2008-09 के दौरान 163.47 करोड़ रुपए का क्रेडिट और 179.64 करोड़ रुपए का डेबिट होगा।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): मूल्य संबंधी अनुरक्षण (एमओवी) देयताओं के डालर मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों में अंतरित होने के साथ वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमान में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

आई.बी.आर.डी. द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान, 2007-2008 और संशोधित अनुमान 2007-2008 में 113.15 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल थी। ब.अ. 2008-2009 में 113.15 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): आईडीए-14 पुनःपूर्ति हेतु भारत के अंशदान के लिए संशोधित अनुमान 2007-2008 में बजट अनुमान 2007-2008 के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

आईडीए की प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए 2007-2008 में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, बजट अनुमान 2008-2009 के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधिः भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, के आरंभिक सदस्यों में से एक है। भारत ने 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के संसाधनों में 67 मिलियन डालर का अंशदान किया है। यह भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईएफएडी के पक्ष में धारित चौथी पुनःपूर्ति तक पराक्राम्य, अंपरक्राम्य, निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए किया जाता है, पांचवें पुनःपूर्ति से आगे भारत सरकार ने नकद में भुगतान किया है।

एशियाई विकास बैंकः एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनकों समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्चे को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। ब.अ. 2007-2008 में 11.60 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और संशोधित अनुमान 2007-2008 तथा बजट अनुमान 2008-2009 के लिए क्रमशः 9.16 करोड़ रुपए और 15.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंकः की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई थी कि उदार शर्तो पर वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत निधि और बैंक दोनों संस्थाओं में शामिल हो गया है।

एएफडीबी के मामले में अफ्रीकी विकास बैंक के पूंजी स्टॉक की पांचवी सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीएल-V) के अंतर्गत भारत का अभिदान 13,51,112 अमरीकी डालर बैठता है जिसका भुगतान 1,68,889 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष की आठ समान किश्तों में किया जाना था। जीसीआई-V के लिए पहली किश्त सितम्बर, 2000 में अदा की गई थी और 7वीं किश्त का भुगतान 2006 में किया गया था। 8वीं और अंतिम किश्त का भुगतान सितंबर/अक्तूबर, 2007 में किया गया था। अभी तक एएफडीवी द्वारा जीसीआई-VI को प्रारम्भ करने का निर्णय नहीं लिया है। तथापि, स.अ. 2007-08 में 00.78 करोड़ रुपए और ब.अ. में 0.78 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

अफ्रीकी विकास निधि के मामले में, एडीएफ-x में भारत का अंशदान, तीसरी और अन्तिम किस्त का भुगतान मई, 2007 में किया गया था। एडीएफ-11 पुनःपूर्ति के सम्बन्ध में अंशदान की राशि का निर्धारण करने के लिए परामर्शदात्री बैठकें जारी हैं। तथापि, स.अ. 2007-08 में 12.87 करोड़ और ब.अ. 2008-09 में 18.98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा): बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा) के पक्ष में सृजित प्रतिभूति के नकदीकरण हेतु 2007-08 और 2008-09 में कोई भुगतान परिकल्पित नहीं है।

(v) अन्य मदें:

इन अनुमानों में, औद्योगिक और कोयला खान श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन और जीवन बीमा निधि, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा निधियां, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों की जमा राशियां, सुरक्षा जमा राशियां, न्यायालय जमा राशियां आदि शामिल हैं।